नौवीं अनुसूची

प्रलिम्सि के लयि:

आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय, संवधािन (प्रथम संशोधन) अधनियिम, 1951।

मेन्स के लयि:

संवधािन की नौवीं अनुसूची।

चर्चा में क्यों:

हाल ही में झारखंड वधिानसभा ने पदों और सेवाओं में रक्तियिों का आरक्षण तथा स्थानीय व्यक्त विधियक नामक दो वधियकों को मंज़ूरी दे दी है।

- हालाँकि इन वधियकों का क्रयािन्वन केंद्र सरकार इन्हें संवधािन की **नौवीं अनुसूची में शामलि** करने के लयि **संशोधन के बाद कयिा** जा सकेगा।

वधियक

- **झारखंड पदों और सेवाओं में रक्तियिों का आरक्षण (संशोधन) वधियक 2022:**
  - इसके माध्यम से **आरक्षण का दायरा 77% तक बढ़ जाएगा।**
  - इसके तहत आरक्षति श्रेणी के भीतर अनुसूचति जातयिों को 10-12%; ओबीसी को पूर्व के 14 % के बजाय 27%, अनुसूचति जनजातयिों को पूर्व के 26% के बढ़ाकर 28% और आर्थकि रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) को 10% का कोटा प्रदान कयिा जाएगा।
- **झारखंड स्थानीय व्यक्त विधियक, 2022:**
  - **इसका उद्देश्य स्थानीय नविासयिों को उनकी भूमि पर** नदयिों, झीलों, मत्स्य पालन के स्थानीय वकिास में उनकी हस्सिेदारी में; स्थानीय पारंपरकि और सांस्कृतकि तथा वाणज्यिकि उद्यमों में; कृष ऋिणग्रस्तता पर अधकिार या कृष ऋिण का लाभ उठाने; भूम रिकिॉर्ड के रखरखाव एवं संरक्षण में; या उनकी सामाजकि सुरक्षा के लयि; नजिी और सार्वजनकि क्षेत्र में रोज़गार में; या राज्य में व्यापार और वाणज्यि के लयि "कुछ अधकिार, लाभ व अधमिान्य उपचार " प्रदान करना है।
- नौवीं अनुसूची में शामलि करने की आवश्यकता:
  - 77% आरक्षण वर्ष 1992 के **इंदरिा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय** नरि्धारति 50% की सीमा को पार करता है।
  - हालाँकि, **नौवीं अनुसूची में एक कानून रखने से यह न्यायकि समीक्षा से सुरक्षति हो जाता है।**
  - इससे पहले, **तमलिनाडु पछिड़ा वर्ग, अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (शैक्षणकि संस्थानों में सीटों तथा राज्य के तहत सेवाओं में नयिुक्तयिों या पदों का आरक्षण) अधनियिम, 1993** ने राज्य सरकार में कॉलेजों एवं रोजगारों में 69% सीटें आरक्षति की थीं।
- **नौवीं अनुसूची:**
  - इस अनुसूची में **केंद्रीय और राज्य कानूनों को शामलि कयिा गया है** जसि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसको संवधािन (प्रथम संशोधन) अधनियिम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
  - पहले संशोधन में **अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए**। वर्तमान में इसमें 284 वषियों को शामलि कयिा है।
- इसका गठन अनुच्छेद 31B द्वारा कयिा गया था, जसि अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा **कृष सिुधार से संबंधति कानूनों की रक्षा करने** और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लयि लाया गया था।
  - जबकि अनुच्छेद 31A कानूनों के '**वर्गों (Classes)**' को सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 31B वशिषि्ट कानूनों या अधनियिमों का संरक्षण करता है।
  - जबकि अनुसूची के तहत संरक्षति अधकिांश कानून कृषि/भूमि के मुद्दों से संबंधति हैं, इसके अलावा सूची में अन्य वषिय शामलि हैं।
- अनुच्छेद 31B में एक पूर्वव्यापी संचालन भी है, जसिका अर्थ है कि यदि कानूनों को असंवैधानकि घोषति कयि जाने के बाद नौवीं अनुसूची में शामलि कयिा जाता है**, तो उन्हें उनके प्रारंभ के बाद से अनुसूची में शामलि माना जाता है** और इस प्रकार वे कानून मान्य है।
- हालाँकि अनुच्छेद 31B न्यायकि समीक्षा से बाहर है, सर्वोच्च न्यायालय ने अतीत में कहा है कि **नौवीं अनुसूची के तहत भी कानून जाँच के लयि खुले होंगे यदि वे मौलकि अधकिारों या** संवधािन की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

नौवीं अनुसूची के कानून और न्यायिक जाँच:

- **केशवानंद भारती वनाम केरल राज्य (1973):** न्यायालय ने गोलकनाथ फैसले को बरकरार रखा और **"भारतीय संविधान की मूल संरचना"** की एक नई अवधारणा पेश की और कहा कि "संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन वे संशोधन जो संविधान के **सार या मूल ढाँचे को नष्ट या समाप्त कर सकेंगे,** जैसे जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं उनको **न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है"।**
- **वामन राव वनाम भारत संघ (1981):** इस महत्त्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "वे संशोधन जो 24 अप्रैल, 1973 से पहले संविधान में किये गए थे (जिस तारीख को केशवानंद भारती में निर्णय दिया गया था) वैध और संवैधानिक हैं लेकिन जो निर्दिष्ट तिथि के बाद किये गए थे उन्हें संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
- **आई. आर. कोएल्हो वनाम तमिलनाडु राज्य (2007):** यह माना गया था कि प्रत्येक कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत परीक्षण किया जाना चाहिये यदि यह 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू हुआ है।
  - इसके अलावा न्यायालय ने अपने पिछले फैसलों को बरकरार रखा और घोषित किया कि **किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है और न्यायपालिका द्वारा जाँच के लिये खुला है यदि यह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है।**
  - साथ ही यह भी कहा गया कि यदि नौवीं अनुसूची के तहत किसी कानून की संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है, तो भविष्य में इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

आगे की राह:

- यद्यपि आरक्षण आवश्यक है लेकिन कार्यपालिका या विधायिका द्वारा किसी भी आकस्मिक अथवा तर्कहीन नीतिगत पहल को बढ़ावा देने से रोकने के लिये **न्यायिक समीक्षा का भी प्रावधान होना चाहिये।**
- **इस विषय पर विभिन्न हितधारकों को शामिल कर के** आरक्षण नीति में किसी भी खामी या कमियों को दूर किया जाना चाहिये। अभी आवश्यकता है कि आरक्षण नीति को खत्म करने या सीमित करने संबंधी किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के बजाय इस विवादास्पद नीति पर एक **तर्कसंगत रूपरेखा विकसित की जानी चाहिये।**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके उपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुर:स्थापित किया गया था?

(a) जवारहलाल नेहरू
(b) लाल बहादुर शास्त्री
(c) इंदिरा गाँधी
(d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

??????

प्रश्न. कोहिलो मामले में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है? **(2016)**

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ninth-schedule